



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

219-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 14, 2023 (AGRAHAYANA 23, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 14th December, 2023

No. 20-HLA of 2023/163/21881.— The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:

Bill No. 20-HLA of 2023.

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)

BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2023.
2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006, after serial number 25 and entries there against, the following serial number and entries there against shall be added, namely:-
“26. Sanskaram University District Jhajjar”.

Short title.

Amendment of
Schedule to
Haryana Act 32
of 2006.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the unprecedented growth of students in higher education, and also to cross the target of 50% gross enrolment ratio (GER), as per National Education Policy, 2020 we need to roughly double the number of institutions at all levels by 2030. The Government intervention would not be adequate to meet this benchmark in higher education. We need to enlist the participation of private sector in a major way. Haryana Private Universities Act, 2006 has been brought essentially to rope in private sector to supplement the initiative of Government in expanding the capacity in higher education and up-scaling its standards.

To achieve the objectives enshrined in the Act, proposal has been made to setup of Sanskaram University in Jhajjar.

Hence, this Bill.

MOOL CHAND SHARMA,
Higher Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 14th December, 2023

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2023 का विधेयक संख्या 20-एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 25 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-
"26. संस्कारम् विश्वविद्यालय जिला झज्जर"। 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 50% सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार प्राप्त करने के लिए भी हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2030 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला झज्जर में संस्कारम् विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

मूल चंद शर्मा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।